International Journal of Applied and Universal Research **E- ISSN No: 2395-0269**
Volume V, Issue IV, December 2018 Available online at: www.ijaur.com

संसदीय लोकतंत्र का सशक्त पहरेदारः सूचना का अधिकार

माधुरी साहू
शोधार्थी राजनीति विज्ञान
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी

सारांश– भारत देश एक समप्रभुत सम्पन्न संसदीय लोकतंत्र है। जिसके संविधान की रचना जनता के प्रतिनिधि निकाय द्वारा की गई हैं। भारतीय संविधान की विशेषता मुख्यतः उसके मौलिक अधिकार के अनुच्छेदों द्वारा न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायक के अधिकारों का जनता के हित में उल्लेख है स्वयं डा0 भीमराव अम्बेडकर के अनुसार परिभाषा– "संविधान एक मौलिक दस्तावेज है यह एक ऐसा दस्तावेज है जो राज्य के तीनों अंगों की स्थिति एवं शाक्तियों को स्पष्ट करता है। यह केवल राज्य के अंगों का सृजन ही नही करता है अपितु उनके प्राधिकार को परिसीमित करते हुए उन्हें निरकुंश एवं तानाशाह होने से रोकता है।" सरकार की शक्ति का स्त्रोत जनता में निहित है यह देखकर ही भारतीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है। एवं लोकतांत्रिक देशो में नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार विशेष रूप से प्रदान किये जाते है। जिसे की हम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार से जानते है। भारतीय संविधान के भाग–3 के अनुच्छेद 12–35 तक मौलिक अधिकारों का विस्तारपूर्ण वर्णन करते हुए डा0 अम्बेडकर ने कहा था कि "यह भाग–3 सर्वाधिक आलौलिक भाग है जिसके द्वारा आगे भविष्य में बृहद विकास एवं परिर्वतन होगा।" अतः एक सच्चे प्रजातंत्र की कल्पना एवं व्यक्ति की गरिमा एवं प्रतिष्ठा की स्थापना सच्चे रूप से बिना मौलिक अधिकार के आधार स्तम्भ के बिना नही की जा सकती। अनुच्छेद–19(1)(क) में जानने का अधिकार प्रखर रूप से सामने आया जिसमें भारत सरकार के संचालन एवं न्यायिक निर्णयों में सत्यता प्रकट करने हेतु लोक हित में दृष्टि प्रकृटिकरण हेतु न्यायालय द्वारा खुलकर जानने के अधिकार का प्रयोंग किया गया।

मुख्य शब्द – संसदीय लोकतंत्र , जनसूचना अधिकार।

प्रस्तावना–

"हमारी लड़ाई हमारी कमजोरियों के खिलाफ हैं।"
भगत सिंह

भविष्य की कल्पना करते ही हमारे जेहन में लोकतंत्र की एक ऐसी तस्वीर उभरती है। जहॉ प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण भाांति और स्वतन्त्रता के साथ–साथ सम्मान से जीने का अधिकार भी प्राप्त हो सके।

वर्तमान में लोकतन्त्र इस प्रकार की सरकार नहीं है जहॉ लोगों की भागीदारी केवल मताधिकार तक सीमित हो।

अब यह अवस्था और भी मजबूत तथा ठोस हो गयी है, क्योंकि अब जनता को हम से पूँछने का अधिकार जो प्राप्त हो गया है। संसदीय लोकतन्त्र में लोकतन्त्र तभी सफल माना जाता है जब चुनाव प्रणाली ठोस एवं पूर्ण जानकारी युक्त हो। क्योंकि प्रकट रूप से जानकारी हमारे लिए न केवल अच्छी है, बल्कि आवश्यक भी है।

क्योंकि हमारा उत्तरदायित्व भी तो इसी जानकारी पर निर्भर करता है। आर0टी0आई0 के प्रभावी हो जाने से भारतीय लोकतन्त्र में नये युग का प्रवेश हुआ। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बढ़ता हुआ अपराधीकरण, भ्रष्टाचार जवाबदेहिता में कमी, राजनीतिक दुर्बलता आदि ने लोकतन्त्र की पारदर्शी छवि को धूमिल कर दिया। यहॉ तक की न्याय व्यवस्था भी इसके अंधकार से बच न सकी। इस स्थिति में एक ऐसे कानून की आवश्यकता महसूस हुई जो लोकतन्त्र की धूमिल होता इस छवि को उसका सम्मान वापस दिला सके।

सामान्य लोगों को उनके अधिकारों से सुसज्जित कर सके तथा मौलिक अधिकारों व नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा करने में समर्थ हो। आर0टी0आई0 आन्दोलन इस विशय में मील का पत्थर सावित हो रहा है।

सूचना तक आम लोगों की पहुॅच लोकतांत्रिक संस्कृति एवं आर्थिक विकास को नये आयाम दे सकती है। साथ ही सामाजिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। जिन्दगी में आम जरूरतों की तरह सूचना का अधिकार भी महत्वपूर्ण आव''यकता बनता जा रहा है।

इसलिए आज सूचना के द्वार खोलना सरकार की आवश्यकता भी बन गया है। और जिम्मेदारी भी। ताकि सूचना में भागीदारी प्रदान करके खुलेपन के वातावरण पारदर्शी एवं जवाबदेही पूर्ण समाज का निर्माण किया जा सके जहॉ ईमानदारी, सत्यनिष्ठा व कर्तव्यपरायणता का वास हो। नये विचारों तथा विकास को सम्मान मिले क्योंकि सूचना के अधिकार के बिना सफल लोकतन्त्र की कल्पना करना भी मिथ्या लगता है। आज सूचना का अधिकार आम व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र हर पहलू से जुड़ गया है। शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य आदि जब इसके इर्द–गिर्द नजर आते हैं।

आम आदमी की सरकार के कार्यों को भली–भॉति देखने समझने का अधिकार रखने लगा है। यह नागरिक स्वतन्त्रता की बहुत बड़ी जीत है। इसके बाद देश के प्रत्येक नागरिक को सूचना मांगने, जानने के स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हो गये हैं। यह अधिकार जहॉ एक ओर आम नागरिक की जीत है वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता इसे अपने अधिकारों के हनन के रूप में देखते हैं। यही इस अधिनियम की सबसे बड़ी बिडम्बना है।

जहॉ से इसकी राह में कई बाधाएं प्रारम्भ हो जाती है। जैसे–सूचना मांगने पर समय से सूचना न देना, किससे कब और कैसे सूचना मांगी जाऐ, याचिकाकर्ता को डराना, धमकाना आदि ने भी इस अधिनियम को मजाक बनाकर रख दिया है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारों स्वयं को मालिक तथा आम जन को अपना सेवक समझकर काम करते हैं। कहीं–कहीं पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है। परन्तु अब आर0टी0आई0 के भय से बहुत कागजातों को सही ढ़ंग से तैयार किया जाता है तथा देखा परखा जाने लगा है। प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रश्टाचार अनाव''यक देरी टाल–मटोल जैसी समस्याऍ भी देखने को मिलती हैं। इतना ही नहीं कई बार तो याचिकाकर्ता को मानसिक, आर्थिक तौर पर प्रताड़ित भी किया जाता है। यह वाकई बहुत दुखदबात है, जहॉ लोकतन्त्र के माहौल में आम जनता डरी–सहमी नजर आती है।

आर0टी0आई0 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया गया जहॉ यह पता लगाया जा सके कि आवेदक को सूचना मिली या नहीं या प्रात सूचना गलत तो नहीं दी गयी। आर0टी0आई0 में यह भी व्यवस्था नहीं है जो यह पता लगा सके कि आवेदक को 30 दिनों के भीतर सही सूचना प्राप्त हुई या नहीं।

इतना सब होने के बावजूद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 12 वर्षों की यात्रा में कई खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरते हुए आर0टी0आई0 आज सफलता की ओर अग्रसर है जनता शिक्षित हो रही है, अपने अधिकारों कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो रही है। यह परिवर्तन ही आर0टी0आई0 के माध्यम से भारतीय संसदीय लोकतन्त्र में एक नये प्राण फूंक रहा है।

वास्तविक लोकतन्त्र वही होता है जहॉ जनता भासन प्रशासन और उसकी संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर भागीदार बने साथ ही प्रशासन के प्रत्येक कर्म में भागीदारों की पारदर्शिता हो। जिससे आम जनता आसानी से देख सुन सके और जानकारी ले सके। वास्तव मं लोकतन्त्र में आर0टी0आई0 की भाक्ति ही लोककल्याणकारी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। यह लोकतन्त्र की प्राणवायु है।

यदि आर0टी0आई0 को सखती से लागू किया जाये तो बहुत हद तक देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। और यह भी अक्षरशः सत्य है कि–आर0टी0आई0 के बिना वोट का अधिकार भी बेकार है।

आज के दौर में यह कहना अति''योक्ति नहीं होगा कि–

"जिसे अपने दुखो से मुक्ति चाहिए, उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उससे पहले पढ़ना होगा। क्योंकि बिना ज्ञान के लड़ने गये तो हार निश्चित है।"

डा0 अम्बेडकर

निष्कर्ष:-

प्रत्येक प्रजा तांत्रिक सरकार इस स्वतंत्रता का बडा महत्व देती है। इसके बिना जनता को तार्किक एवं आलोचनात्मक शक्ति को जो प्रजातांत्रिक सरकार के समुचित संचालन के लिए आवश्यक हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र में सरकार को सही दिशा निर्देश देने के लिए न्यायापालिका द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) का सदुपयोग किया जाता रहा हैं इसी अनुच्छेद के स्वतंत्रता शब्द का ही विकास जानने का अधिकार के रूप में सामने आया। वर्तमान में इस पुराने वाक्य को जानने का अधिकार ही विकसित रूप में सूचना का अधिकार 2005 के रूप में हम सभी जानते है। क्योंकि शिक्षा की सार्थकता तभी है जब वह अपने परिवार राष्ट्र, समाज तथा विश्व की समस्याओं के निदान में अपनी भूमिका अदा कर सके। तभी हम भारतीय संसदीय लोकतन्त्र की और विश्व लोकतन्त्र की स्वर्णिम कल्पना को साकार कर सकेंगें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:–

1–सूचना का अधिकार, नीरज अरोड़ा
2–सूचना का अधिकार, भानु प्रताप द्विवेदी
3–लक्ष्मीकान्तः लोक प्रशासन TMH
4–यशोदा, राइट द इन्फार्मेशन
5–अमर उजाला समाचार पत्र
6–जैन पी0के0 सूचना का अधिकार
7–दैनिक जागरण समाचार पत्र।
8–www.rti.in